International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 521-524

एक राष्ट्र एक चुनाव : चुनौतियॉ एवं सम्भावनाऍं

कुमार सौरभ
शोध छात्र (जे0आर0एफ0), राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश
निःसन्देह भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है। यहाँ की गौरवशाली लोकतान्त्रिक परम्परा के अन्तर्गत 16 लोकसभा चुनाव एवं राज्य विधानसभाओं के सौ (100) से अधिक चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जाना भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक समृद्ध बनाता है। विगत कुछ महीनों में भारत के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन लोगों द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने जाने के प्रति इच्छा प्रकट किया जाना स्वयं ही अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करता है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द जी द्वारा वर्ष 2018–19 के अपने बजटीय भाषण में प्रत्येक वर्ष लगातार होने वाले चुनावी महापर्व का जिस प्रकार उल्लेख किया गया उससे 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की सुगबुगाहट तेज हो गयी है। इसके पहले प्रधानमन्त्री श्री मोदी ने 'राष्ट्रीय विधि दिवस'–2017 के अवसर पर न केवल 'एक राष्ट्र एक चुनाव' की बात दुहराई बल्कि उन्होनें इसके पक्ष में कुछ तर्कों का उल्लेख भी किया।

मूल शब्दः राष्ट्रपति, लोकसभा, चुनावी प्रक्रिया एवं विधि दिवस

प्रस्तावना

स्पष्ट है कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' का उद्देश्य न केवल प्रत्येक वर्ष, महीनों चलने वाली चुनावी प्रक्रिया से मुक्ति पाना है बल्कि इसके साथ–साथ चुनावी प्रक्रिया में धन, श्रम एवं समय के होने वाले अपव्यय से भी छुटकारा पाना है। गौरतलब है कि भारतीय लोकतन्त्र में यह कोई नया प्रयोग नहीं है क्योंकि सन् 1967 तक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराये गये थे। यह संयोग ही है कि सन् 2018 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराये जाने हैं, जबकि सन् 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ–साथ 7 से 8 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराये जाने हैं, ऐसी स्थिति में इस सम्भावना से इन्कार भी नहीं किया जा सकता कि कुछ समझौते एवं मान–मनौव्वल के उपरान्त ये सभी चुनाव एक साथ करा लिये जाएं। किन्तु किसी भी निष्कर्ष पर पहँचने से पहले 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के पक्ष एवं विपक्ष को परख लेना समीचीन होगा।

'एक राष्ट्र एक चुनाव' के पक्ष में तर्क : वर्ष 2018–19 के बजटीय भाषण के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के सन्दर्भ में उल्लेख किया ''देश में गवर्नेंस के प्रति सजग लोगों में देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से अव्यवस्था एवं विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिन्ता है। बार–बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराये जाने के विषय पर चर्चा और सहमति बनायी जानी चाहिए।'' इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी भी एक साथ चुनाव कराये जाने का जिक्र कर चुके हैं। 26 नवम्बर 2017 को राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर प्रधानमन्त्री मोदी ने एक साथ चुनाव कराये जाने की न केवल बात की बल्कि उन्होने इसके पक्ष में चार तर्क भी दिये। इसके साथ–साथ जहॉ नीति आयोग नें एक साथ चुनाव कराये जाने के पक्ष में सुझाव देते हुए अपने रिपोर्ट में चुनाव प्रचार से उत्पन्न रूकावटों को सीमित करनें हेतु 'समकालिक चुनाव' की बात की वहीं विधि एवं न्याय मन्त्रालय की स्थायी संसदीय समिति नें भी एक साथ चुनाव कराये जाने की सिफारिश की।

राष्ट्रीय विधि दिवस के अवसर पर प्रधानमन्त्री जी द्वारा साथ चुनाव के पक्ष में जो तर्क दिये गये वे हैंः– पृथक–पृथक चुनाव कराये जाने के कारण धन का अत्यधिक अपव्यय होता है तथा चुनाव में अत्यधिक समय भी जाया हो जाता है, सुरक्षाकर्मी एवं अन्य स्टाफ को अपने नियत कार्य एवं प्राथमिक उद्देश्य से इतर चुनाव प्रक्रिया में लगा दिये जाने के साथ–साथ आचार संहिता प्रभावी होने के कारण सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त चुनाव के दिनों में सामान्य जीवन भी अस्त–व्यस्त हो जाता है। निःसन्देह प्रधानमन्त्री जी द्वारा दिये गये ये तर्क एक हद तक सत्य भी हैं, इसलिए इस पर एक संक्षिप्त चर्चा अपरिहार्य है।गौरतलब है कि पिछले पाँच वर्षों में सम्पन्न हुये लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनावों पर लगभग 8000 करोड़ रूपये खर्च किये गये। पृथक–पृथक चुनाव कराये जाने पर चुनाव आयोग द्वारा स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु की जाने वाली दोहरी व्यवस्था से एक साथ चुनाव द्वारा बचा जा सकता है, जिससे न केवल व्यय में कमी आयोग बल्कि उस धन का उपयोग लोक कल्याण एवं विकासात्मक कार्यों में किया जा सकता है।प्रत्येक वर्ष, महीनों चुनावी महपर्व की प्रक्रिया तथा चुनाव आचार संहिता (जिसे राजनीतिक दलों द्वारा सन् 1979 में स्वीकार किया गया तथा जिसके लागू होने की स्थिति में कोई भी पूंजीगत योजना एवं कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं किया जा सकता) के प्रभावी होने के कारण देश में लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यन्वयन में हो रही अनावश्यक देरी से एक साथ चुनाव करा कर बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन एवं देश में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रशासन के साथ–साथ शिक्षा जगत का एक बड़ा भाग अपने नियमित या विशेषज्ञतापूर्ण कार्य एवं प्राथमिक उद्देश्यों से इतर चुनाव प्रक्रिया में लगा दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश में विकासात्मक कार्यों में ठहराव सा आ जाता है। एक साथ चुनाव कराये जाने से इस गैर–उत्पादक क्रियाकलापों

से मुक्ति मिल सकती है, जिससे देश में विकास एवं लोककल्याण की सम्भावनाएं अधिक बलवती होंगी।

एक साथ चुनाव कराये जाने के समर्थकों द्वारा यह भी तर्क दिया जाता रहा है कि सन् 1967 तक चुनाव एक साथ ही कराये गये। लोगों का मानना है कि 1967 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केन्द्र में सत्ता में अवश्य आयी किन्तु आठ (8) राज्यों में उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ये राज्य थे बिहार, केरल, मद्रास, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश। इस चुनाव परिणाम का एक साथ चुनाव के समर्थकों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि आम जनता अपना भला–बुरा एवं हित–अहित समझती है इसीलिए उसने ऐसा जनादेश दिया। 1967 के आम चुनाव के परिणामस्वरूप आठ राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकार के गठन के साथ–साथ 1967 से 1970 का दौर अस्थायी सरकारों एवं राष्ट्रपति शासन का दौर अवश्य रहा, इसके अतिरिक्त छोटी एवं क्षेत्रीय पार्टियों तथा निर्दलीय सदस्यों की भूमिका भी बढ़ी किन्तु यही वह दौर था जब भारत में संघीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। इसके साथ–साथ कुछ अन्य तर्क भी दिये जा सकते हैं, जैसे – चुनाव प्रक्रिया के दौरान उद्योग घरानों द्वारा बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को चन्दे दिये जाते हैं, जिसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है क्योंकि चुनाव के दौरान किये गये खर्चे को जनता से वसूल किया जाता है। एक साथ चुनाव कराये जाने से राजनीतिक दलों की चन्दों पर निर्भरता कम होगी, जिससे भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं सीमित होंगी। इसके अतिरिक्त बार–बार चुनाव कराये जाने से विश्व स्तर पर हमारी साख प्रभावित होती है। विश्व पटल पर हमारी छवि एक अपरिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में बनी होने के साथ–साथ निर्णय निर्माण प्रक्रिया में एक कमजोर राष्ट्र की छवि बनती है।

'एक राष्ट्र एक चुनाव' के विपक्ष में तर्क : यह ठीक है कि किसी भी नयी व्यवस्था के सृजन या एक ऐसी पुरानी व्यवस्था, जो वर्षों पीछे छूट गयी हो, को प्रचलन में लाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं यहाँ तक कि परिस्थितियों के अनुरूप कुछ समझौते भी करने पड़ सकते हैं किन्तु बार–बार परिस्थितियों के साथ समझौता करना तथा व्यवस्था में परिवर्तन करना न तो उचित होगा और न ही न्यायसंगत। गौरतलब है राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें किसी भी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत में संसदीय लोकतन्त्र का इतिहास इस बात का साक्षी है कि चौथी, छठीं, नवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं लोकसभा अपने कार्यकाल के पहले विघटित हुयी थी, वह भी परिस्थितियों की विवशता के कारण। जिसे निम्नलिखित सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया गया है :–

तलिका 1

लोकसभा	विघटन	कार्यकाल
चौथी	अपने कार्यकाल से 1 वर्ष 79 दिन पहले विघटित	1967–1970
छठवीं	दो वर्ष चार माह 28 दिन में विघटित	1977–1979
नौवीं	एक वर्ष 85 दिन बाद विघटित	1989–1991
ग्यारहवीं	एक वर्ष 85 दिन बाद विघटित	1996–1997
बरहवीं	एक वर्ष 34 दिन बाद विघटित	1998–1999
तेरहवीं	अपने कार्यकाल से आठ माह 13 दिन पूर्व विघटित	1999–2004

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि भविष्य में फिर कभी ऐसा हो तो क्या होगा? क्या शेष समय के लिए चुनाव कराये जाएंगे या फिर 31 राज्यों (29 राज्य एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेश) में लोकतान्त्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं को भंग करके पुनः एक साथ चुनाव कराये जाने का प्रयत्न किया जायेगा? ध्यातव्य है कि जितनी बार लोकसभा समय से पहले भंग हुयी है हर बार मध्यावधि चुनाव के बजाए एक नयी लोकसभा का गठन किया गया है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–83 एवं अनुच्छेद–172 के अन्तर्गत क्रमशः लोकसभा एवं राज्य विधानसभा हेतु उसके प्रथम अधिवेशन से पाँच वर्ष (यदि पहले विघटित न हो) के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि क्या सामान्य स्थिति में भी आवश्यकता अनुसार किसी भी समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी हुयी राज्य विधान सभाओं को भंग किया जा सकने वाला अन्यायपूर्ण संवैधानिक संशोधन किया जायेगा? वहीं दूसरी तरफ समय से पहले राज्य विधानसभाओं के भंग होने की स्थिति में क्या होगा? क्या राज्य विधान सभा के चुना को रोक कर शेष समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जायेगा? चाहे लोकसभा भंग हो या राज्य विधान सभा दोनों ही स्थिति में राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व वित्तमन्त्री श्री पी0 चिदम्बरम् ने अपनी पुस्तक ''स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर'' के विमोचन के अवसर पर कहा था ''भारतीय संविधान में सरकार के लिए किसी निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को इस संविधान के अन्तर्गत कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दिया गया है ऐसे में यदि कल सरकार गिर जाये तो क्या होगा? क्या, शेष चार सालों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जायेगा? ऐसा नहीं किया जा सकता।''

भारत विविधताओं का देश है तथा जहाँ 'कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी' जैसी कहावत प्रचलित हो तथा जहाँ विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी जाति–धर्म–क्षेत्र–भावनात्मक लगाव के साथ–साथ सोशल इन्जीनियरिंग आदि के नाम पर राजनीति की जाती हो, जहाँ मीडिया की भूमिका कतिपय निष्पक्ष न होकर राजनीतिक भावना से प्रेरित हो, वहाँ लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। आचार संहिता का जहाँ तक प्रश्न है, जिसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इसके प्रभावी होने की स्थिति में विकासात्मक कार्य नहीं हो पाता तथा इससे सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह मात्र एक बहाना प्रतीत होता है। सन् 1979 के पूर्व जब भारत में चुनाव आचार संहिता जैसी कोई मान्य अवधारणा नहीं थी तब भारत में आर्थिक विकास 'हिन्दू वृद्धि दर' के निम्नस्तरीय सन्तुलन जाल में फंस कर रह गयी जबकि आचार संहिता स्वीकार होने एवं सन् 1991 के आर्थिक सुधारों के उपरान्त भारत में वृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत के आसपास बनी रही, जिसे 'नव हिन्दू वृद्धि दर' की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में भारत हिन्दू वृद्धि दर की तीन गुनी वृद्धि दर से दीर्घकाल में समृद्धि प्राप्ति की

ओर लक्षित है, जिसे 'सुपर हिन्दू वृद्धि दर' के रूप में देखा जाता है। विगत चार दशकों में भारत में शिक्षा, अर्थव्यस्था, राजनीतिक सामाजीकरण, राजनीतिक सहभागिता, लोकतान्त्रिक मूल्य एवं संस्कारों में जो प्रगति हुयी है यह प्रगति आचार संहिता के रहते एवं पृथक चुनाव होने की स्थिति में हुयी हैं उससे स्पष्ट होता है कि विकास, चुनाव आचार संहिता से नहीं बल्कि 'नीति' एवं 'नीयत' से प्रभावित होता है। आचार संहिता के सन्दर्भ में यह मुद्दा अवश्य ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि एक राज्य की विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता से दूसरे राज्य क्यों प्रभावित होते हैं? इस प्रश्न को भारत में 'सहकारी संघवाद की भावना' के नाम पर टाला जा सकता है किन्तु इस सन्दर्भ में अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो वह आचार संहिता में है न कि चुनावी चक्रण में। एक साथ चुनाव कराये जाने के पक्ष में धन की बचत का तर्क दिया गया, जो सत्य भी हो सकता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि पिछले पाँच वर्षों में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया में लगभग 8000 करोड़ रूपये खर्च किये गये। आंकड़ों के एकांगी स्वरूप में यह अधिक प्रतीत हो सकता है किन्तु वास्तविकता यह है कि जहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 60 करोड़ से अधिक हो तथा प्रतिवर्ष, प्रति–मतदाता चुनाव खर्च लगभग 27 रूपये हों तो ऐसी स्थिति में भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को विश्व की सबसे बड़ी लोकतान्त्रिक व्यवस्था होने का गौरव प्राप्त करने के लिए यह कीमत बहुत छोटी है।

चुनावी प्रक्रिया में 'मतदान व्यवहार' का महत्वपूर्ण स्थान है तथा अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने से किसी एक दल के पक्ष में मतदाताओं में तीव्र झुकाव पाया जाता है। गौरतलब है कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण एवं अशिक्षित हैं, ऐसी स्थिति में जब उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि उन्होने अपना मत किसे दिया तो ग्रामीण अंचलों में एक बड़ी जनसंख्या का उत्तर 'मोदी', 'मुलायम सिंह यादव', 'मायावती', आदि जैसे राजनीतिक दलों के मुख्य चेहरे के नाम के साथ दिया जाता है, चाहे वे स्वयं चुनाव में प्रत्याशी हों या नहीं। इतना ही नहीं भारत में मुखौटों एवं नारों की राजनीति होती रही है। संवैधानिक प्रावधान के विपरीत प्रधानमन्त्री एवं मुख्यमन्त्री के उम्मीदवारों के नाम तय करके चुनाव लड़े जा रहे हैं। नारों की राजनीति वर्षों से चली आ रही है। सन् 1971 के चुनाव में जहाँ 'इन्दिरा हटाओ', 'गरीबी हटाओ' की बात की गयी तो वहीं 2014 के चुनाव में 'हर–हर मोदीः घर–घर मोदी' के नारे दिये गये। इतना ही नहीं 'पेड न्यूज' (बिकी हुयी खबरें) राजनीतिक दलों के बारे में लोगों की राय प्रभावित करती हैं। संक्षेप में यह कहना कि ये सभी कारक 'मतदान व्यवहार' को प्रभावित करते हैं, गलत नहीं होगा। यह भी कहा जाता है कि 'जिन्दा कौमें पाँच साल का इन्तजार नहीं करती', ऐसी स्थिति में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाना ठीक प्रतीत नहीं होता।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान के भाग–XXI के अनुच्छेद 370, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, को लेकर है। भारतीय संघ में जम्मू एवं कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ का अपना एक पृथक संविधान है। जब जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष हो एवं भारतीय चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू होता हो तथा जम्मू एवं कश्मीर प्रत्येक लोकसभा चुनाव में सहभागी रहा हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव का परिदृश्य क्या होगा? ऐसी स्थिति में उचित तो यह होगा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर विचार करने के पूर्व अनुच्छेद–370 की स्थिति अर्थात् भारतीय संघीय व्यवस्था में जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के सन्दर्भ में विचार करें एवं किसी विशिष्ट निर्णय पर पहुँचें।

जहाँ तक बात 1967 के आम चुनाव के परिणाम की बात है, जिसमें आठ राज्यों मे गैर कांग्रेसी सरकारें गठित हुयी, तो इस चुनाव में उन आठ राज्यों में से पाँच राज्य (केरल, मद्रास, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान) में लोकसभा चुनाव के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे जबकि इन आठ राज्यों में से चार राज्य (बिहार, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर–प्रदेश) विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत से अधिक दूर नहीं थी। यदि हम बात करें लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के कुल पड़े मतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त मतों की तो प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन आठ राज्यों में से केरल, मद्रास, उड़ीसा एवं राजस्थान में प्राप्त मत लगभग बराबर रहे। ऐसी स्थिति में सन् 1967 के चुनाव के आधार पर यह कहना कि जनता लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव के सापेक्ष पृथक–पृथक अपना हित समझती है, पूर्णतः नही तो अधिकांशतः गलत होगा। क्योंकि इस चुनाव में जिन आठ राज्यों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता नहीं प्राप्त कर सकी वहाँ लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के परिणामों में अन्तर का मुख्य कारण राज्य सरकार के प्रति कुछ लोगों की नाराजगी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त मतों का सीटों में परिवर्तित न होना प्रतीत होता है।

तलिका 2: सन् 1967 – लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

राज्य	राजनीतिक दल	लोकसभा सीट		लोकसभा में मत प्रतिशत	विधानसभा में सीट		विधानसभा में मत प्रतिशत
		प्राप्त सीट	कुल सीट		प्राप्त सीट	कुल सीट	
उड़ीसा	INC	6	20	33.33	31	140	30.60
उत्तर प्रदेश	INC	47	85	33.44	199	425	32.20
केरल	INC	1	19	36.15	9	133	35.43
पंजाब	INC	9	13	37.31	48	104	–––
पश्चिम बंगाल	INC	14	40	39.69	127	280	41.13
बिहार	INC	34	53	34.81	128	318	–––
राजस्थान	INC	10	23	39.95	89	184	41.42
मद्रास	INC	3	39	41.69	51	234	41.10

अन्त में एक साथ चुनाव कराये जाने के विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री कांशीराम के उस कथन का उल्लेख करना चाहुँगा जिसमें वे बार–बार कहा करते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें शक्ति की दृष्टि से मजबूत अथवा मजबूर सरकार नहीं वरन् लोकहित में कार्य करने हेतु मजबूर सरकार चाहिए जिस पर उत्तरदायित्व का दबाव सदा

बना रहे। न केवल उत्तरदायित्व की भावना हेतु दबाव बनाने बल्कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए चुनाव प्रणाली आक्सीजन की तरह है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा चुनाव पृथक–पृथक कराये जाने से यह लाभ तो अवश्य होता है कि प्रत्येक राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर कम से कम दो बार तो मिलता है। इससे यह देखा गया है कि राज्य सरकारें एवं केन्द्र सरकार दोनों चुनाव के दबाव से सक्रिय रहती हैं। एक साथ चुनाव कराये जान का अर्थ होगा लोकतान्त्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया रूपी आक्सीजन को 5 बर्षों के लिए बाधित कर दिया जाना। वैश्विक प्रतिमान का हवाला देकर 'एक साथ चुनाव' कराये जाने का पक्ष लेने से बचना चाहिए क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि हम दूसरों का सिन्दूर देखकर अपना सर फोड़ने जैसी कहावत को चरितार्थ कर बैठें क्योंकि जिन दो देशों (चीन व यू0एस0ए0) का हम उदाहरण देते हैं उसमें से एक में एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो दूसरे में सरकार के निश्चित कार्यकाल का प्रावधान है।

निष्कर्ष

सारभूत रूप में देखें तो भारतीय लोकतन्त्र का इतिहास 'भारतीय संघ' का एक 'सहकारी संघ' में परिवर्तित होने की एक अविस्मरणीय एवं अद्भुत कहानी है जिसमें प्रतिवर्ष, महीनों चलने वाली स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया एक रक्तधारा के समान है निःसन्देह लोकसभा राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव की अवधारणा भारत में कोई नवप्रवर्तित अवधारणा नहीं है किन्तु समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप अभी यह प्रासंगिक नहीं है। क्या गारण्टी है कि एक साथ चुनाव कराये जाने के उपरान्त गठित लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभायें 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर पायेंगी भी या नहीं। क्या हमारे गणतन्त्र की मेरूदंड, हमारी लोकतांत्रिक बहुलवादिता संरक्षित रह पाएगी। एक साथ चुनाव कराये जाने की किसी भी सम्भावना से पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्वयं चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतंत्र के सिद्धान्तों को कितना सार्थक करती है। यह सही है कि विगत कुछ दशकों के दौरान भारत में लोकतान्त्रिक मूल्य एवं संस्कार अधिक समृद्ध हुये हैं किन्तु वर्तमान परिस्थिति चुनावी चक्रण के बजाए चुनावी प्रक्रिया एवं संसदीय सुधारों के साथ–साथ हमारी गौरवशाली लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने की माँग कर रही है। स्थिति यह है कि वर्तमान लोकसभा एवं उत्तर–प्रदेश राज्य विधानसभा में जहाँ मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व क्रमशः 5.3 प्रतिशत एवं 5.7 प्रतिशत मात्र है, वहीं महिलाओं का प्रतिनिधित्व और भी दयनीय स्थिति में है। ऐसी स्थिति में देश के विकास एवं लोक हित की दृष्टि से चुनाव चक्रण के बजाए अन्य क्षेत्रों में सुधार अधिक प्रासंगिक होगा, जिसके लिए एक प्रमुख क्षेत्र है संसदीय सुधार का। जैसा कि वर्ष 2014–15 के अन्तरिम बजट सत्र में अपने बजटीय भाषण के दौरान तत्कालीन वित्तमन्त्री ने कहा था कि भारत में उच्च विकास के लिए लोग अर्थिक सुधारों के साथ–साथ प्रशासनिक सुधार तथा न्यायिक सुधार की बात करते हैं मगर इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण सुधार संसदीय सुधार की आवश्यकता अधिक वांछनीय है।

सन्दर्भ

1. बसु, डॉ0 दुर्गा दास : भारत का संविधान एक परिचय, लेक्सिस नेक्सिस, गुरूग्राम (गुड़गॉव) हरियाणा, 2015
2. उपाध्याय, डॉ0 जय जय राम : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, 2013
3. लक्ष्मीकान्त, एम0ः भारत की राजव्यवस्था पंचम संस्करण मैक्ग्राहिल एजूकेशन प्रा0 लि0, चेन्नई, 2017
4. शेखर, शशिः पांच दशक बाद एक शीर्षासन, हिन्दुस्तान, 4 फरवरी 2018, पृष्ठ संख्या– 12
5. टसवाल, देवेन्द्र सिंहः एक साथ चुनाव कराने का मतलब, प्रवाह, अमर उजाला, 5 मार्च 2018, पृष्ठ संख्या– 10
6. भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, 2017
7. The Hindu, Lucknow\
8. www.eci.nic.in